IAS

GS World

Committed to Excellence

PCS

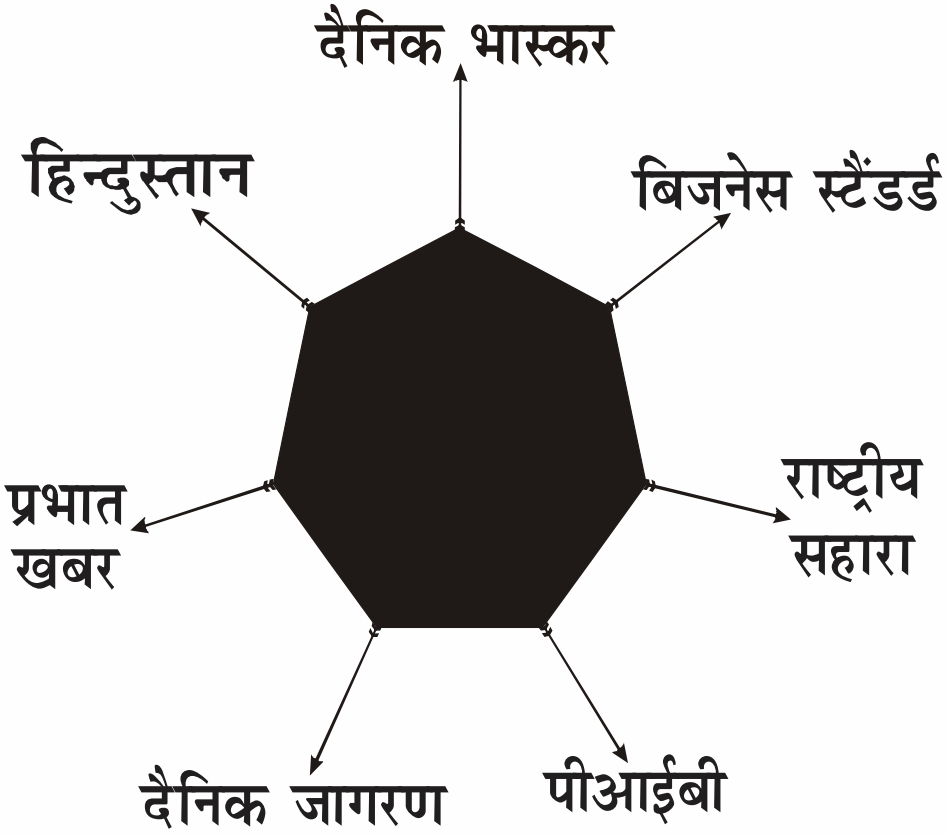

संदर्भित सार एवं संभावित प्रश्नों सहित

(2 अक्टूबर - 07 अक्टूबर, 2017)

-: Head Office:-

705, 2nd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, DELHI-110009

Ph. : 011-27658013, 7042772062/63

गांधी के पास देने को बहुत कुछ

साभार: प्रभात खबर
(02 अक्टूबर, 2017)

आशुतोष चतुर्वेदी
(प्रधान संपादक)

सार

इस लेख में लेखक ने गाँधी जी के जीवन से हमने क्या सीखा इसकी चर्चा की है। साथ ही ये भी बताया कि जो हमने सीखा उससे कहीं ज्यादा गाँधी जी के जीवन से अभी भी सीखा जा सकता है तथा जो सीखा जाना बचा है, वास्तव मे आज उसी की आवश्यकता भी है।

विशेष- यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-I&IV (इतिहास एवं नीतिशास्त्र) के लिए महत्वपूर्ण है।

अनेक विद्वानों का मानना है कि महात्मा गांधी को समझना आसान भी है और मुश्किल भी। दरअसल, गांधी की बातें सरल और सहज लगती हैं, लेकिन उनका अनुसरण करना बेहद कठिन होता है। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। वह एक सफल लेखक भी थे। आप उनकी सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2 अक्तूबर, 1869 में उनका जन्म हुआ और 30 जनवरी, 1948 को उनकी दुखद हत्या हो गयी। इस दौरान उन्होंने जो लिखा और विचार व्यक्त किये, उसे भारत सरकार ने 100 खंडों में प्रकाशित किया है। इसके अलावा ऐसी व्यापक सामग्री और भी है, जो इनमें समाहित नहीं की जा सकी है। सार्वजनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच उन्होंने कई दशकों तक अनेक पत्रों का संपादन किया, जिसमें 'हरिजन', 'इंडियन ओपिनियन' और 'यंग इंडिया' शामिल है। उन्होंने 'नवजीवन' नामक पत्रिका निकाली।

अपनी भारी व्यस्तताओं के बावजूद वह हर रोज अनेक लोगों को पत्र लिखते थे और हर पत्र में कोई विचार होता था। समाचार पत्रों के लिए वह नियमित लेखन भी करते थे। गांधी ने अपनी आत्मकथा भी लिखी- सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके अलावा सत्याग्रह और हिंद स्वराज जैसी पुस्तकें लिखीं। उन्होंने शाकाहार, भोजन और स्वास्थ्य, धर्म, सामाजिक सुधार, कहने का आशय यह कि जीवन के हर प्रश्न पर उन्होंने विस्तार से लिखा। गांधी अधिकतर गुजराती में लिखते थे, लेकिन अपनी किताबों का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद भी खुद कर दिया करते थे।

सन् 1909 में गांधी जी ने एक चर्चित पुस्तक 'हिंद स्वराज्य' लिखी थी। उन्होंने यह पुस्तक इंग्लैंड से अफ्रीका लौटते हुए जहाज पर लिखी थी। जब उनका सीधा हाथ थक जाता था, तो बायें हाथ से लिखने लगते थे।

यह पुस्तक संवाद शैली में लिखी गयी है। गांधी इसमें लिखते हैं कि हिंदुस्तान अगर प्रेम के सिद्धांत को अपने धर्म के एक सक्रिय अंश के रूप में स्वीकार करे और उसे अपनी राजनीति में शामिल करे, तो स्वराज स्वर्ग से हिंदुस्तान की धरती पर उतर आयेगा। महात्मा गांधी का मानना था कि नैतिकता, प्रेम, अहिंसा और सत्य को छोड़कर भौतिक समृद्धि और व्यक्तिगत सुख को महत्व देनेवाली आधुनिक सभ्यता विनाशकारी है। यही कारण है कि वह किसी सभ्यता के साथ थोपे जा रहे प्रभुत्व, हिंसा और सांस्कृतिक दासता का हमेशा विरोध करते थे।

ऐसे भी लोग हैं, जो गांधी को आज के दौर में आप्रसंगिक मान बैठे हैं। वे तर्क देते हैं कि गांधी एक विशेष कालखंड की उपज थे। लेकिन जीवन का कोई ऐसा विषय नहीं है, सामाजिक व्यवस्था का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, जिस पर महात्मा गांधी ने प्रयोग न किये हों और हल निकालने का प्रयास न किया हो।

महात्मा गांधी के पास अहिंसा, सत्याग्रह और स्वराज नाम के तीन हथियार थे। सत्याग्रह और अहिंसा के उनके सिद्धांतों ने न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को अपने अधिकारों और अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। यही वजह है कि इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन अहिंसा के आधार पर लड़ा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करते थे। एक बार वह तय कर लेते थे, तो वह उससे पीछे नहीं हटते थे। विपरीत परिस्थितियां भी गांधी को उनके सिद्धांतों से नहीं डिगा पायीं। गीता ने गांधीजी को सबसे अधिक प्रभावित किया था।

यह उनकी प्रिय आध्यात्मिक पुस्तक थी। गीता के दो शब्दों को गांधीजी ने आत्मसात कर लिया था। इसमें एक था- अपरिग्रह जिसका अर्थ है, मनुष्य को अपने आध्यात्मिक जीवन को बाधित करनेवाली भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। दूसरा शब्द है समभाव। इसका अर्थ है दुख-सुख, जीत-हार, सब में एक समान भाव रखना, उससे प्रभावित नहीं होना।

सफाई के प्रति गांधी जी को विशेष प्रेम था और वह बहुत जल्दी जान गये थे कि हम भारतीयों का सफाई के प्रति नकारात्मक रवैया है। भारतीय सफाई के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं और जो लोग सफाई के काम में जुटे होते हैं, उन्हें हम हेय दृष्टि से देखते हैं। महात्मा गांधी की एक बड़ी खासियत यह थी कि वह लोगों से किसी काम का अनुरोध बाद में करते थे, पहले उस पर खुद अमल करते थे। गांधी अपने मैले की सफाई खुद करते थे और अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। 11 फरवरी, 1938 को हरिपुरा अधिवेशन में सफाई कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गांधीजी ने कहा था- मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई है कि आप लोगों ने यह काम अपने हाथ में ले लिया है।

यह काम प्रेम से और बुद्धिमत्तापूर्वक किया जाना चाहिए। प्रेम से इसलिए कि जो लोग गंदगी फैलाते हैं उन्हें यह नहीं मालूम कि वे क्या बुराई कर रहे हैं और बुद्धिमत्तापूर्वक इसलिए कि हमें उनकी आदत छुड़ानी है और उनका स्वास्थ्य सुधारना है।

गांधीजी ने धार्मिक स्थलों में फैली गंदगी की ओर भी ध्यान दिलाया था। अगर आप गौर करें तो पायेंगे कि आज भी अनेक धार्मिक स्थलों में गंदगी का अंबार लगा रहता है और उनकी सफाई की तत्काल आवश्यकता है। यंग इंडिया के फरवरी, 1927 के अंक में उन्होंने बिहार के पवित्र शहर गया की गंदगी के बारे में भी लिखा था। उनका कहना था कि उनकी हिंदू आत्मा गया के गंदे नालों में फैली गंदगी और बदबू के खिलाफ विद्रोह करती है।

गांधी वांड्मय के अनुसार 1917 के गुजरात राजनीतिक सम्मेलन में गांधी ने कहा था- मैं पवित्र तीर्थ स्थान डाकोर गया था। वहां की पवित्रता की कोई सीमा नहीं है। मैं स्वयं को वैष्णव भक्त मानता हूं, इसलिए मैं डाकोर जी की स्थिति की विशेष रूप से आलोचना कर सकता हूं। उस स्थान पर गंदगी की ऐसी स्थिति है कि स्वच्छ वातावरण में रहनेवाला कोई व्यक्ति वहां 24 घंटे भी नहीं ठहर सकता।

महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर जाने-माने वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था- आनेवाली नस्लें शायद मुश्किल से ही विश्वास करेंगी कि हाड़-मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता फिरता था। यह वाक्य गांधी को जानने-समझने के लिए काफी है। गांधी जयंती का अवसर है। जो बातें और रास्ता समाज के विकास के लिए महात्मा गांधी दिखा गये हैं, उनमें से जो हमें अनुकूल लगे, उसका अनुसरण करें। गांधी को हम सब की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

महत्वपूर्ण तथ्य

1. सत्याग्रह

- 'सत्याग्रह' का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह (सत्य अ आग्रह) सत्य को पकड़े रहना। अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति वैरभाव न रखना, सत्याग्रह का मूल लक्षण है। हमें सत्य का पालन करते हुए निर्भयतापूर्वक मृत्य का वरण करना चाहिए और मरते मरते भी जिसके विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके प्रति वैरभाव या क्रोध नहीं करना चाहिए।
- 'सत्याग्रह' में अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। धैर्य एवं सहानुभूति से विरोधी को उसकी गलती से मुक्त करना चाहिए, क्योंकि जो एक को सत्य प्रतीत होता है, वहीं दूसरे को गलत दिखाई दे सकता है। धैर्य का तात्पर्य कष्टसहन से है। इसलिए इस सिद्धांत का अर्थ हो गया, 'विरोधी को कष्ट अथवा पीड़ा देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर सत्य का रक्षण।'
- महात्मा गांधी ने कहा था कि सत्याग्रह में एक पद 'प्रेम' अध्याहत है। सत्याग्रह मध्यमपदलोपी समास है। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए प्रेम द्वारा आग्रह (सत्य + प्रेम + आग्रह = सत्याग्रह)।
- गांधी जी ने लार्ड इंटर के सामने सत्याग्रह की संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार की थी- 'यह ऐसा आंदोलन है जो पूरी तरह सच्चाई पर कायम है और हिंसा के उपायों के एवज में चलाया जा रहा।' अहिंसा सत्याग्रह दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि सत्य तक पहुँचने और उन पर टिके रहने का एकमात्र उपाय अहिंसा ही है। और गांधी जी के ही शब्दों में 'अहिंसा किसी को चोट न पहुँचाने की नकारात्मक (निगेटिव) वृत्तिमात्र नहीं है, बल्कि वह सक्रिय प्रेम की विधायक वृत्ति है।'
- सत्याग्रह में स्वयं कष्ट उठाने की बात है। सत्य का पालन करते हुए मृत्यु के वरण की बात है। सत्य और अहिंसा के पुजारी के शस्त्रागार में 'उपवास' सबसे शक्तिशाली शस्त्र है। जिसे किसी रूप में हिंसा का आश्रय नहीं लेता है, उसके लिए उपवास अनिवार्य है। मृत्यु पर्यंत कष्ट सहन और इसलिए मृत्यु पर्यंत उपवास भी, सत्याग्रही का अंतिम अस्त्र है।श परंतु अगर उपवास दूसरों को मजबूर करने के लिए आत्मपीड़न का रूप ग्रहण करे तो वह त्याज्य है : आचार्य विनोबा जिसे सौम्य, सौम्यतर, सौम्यतम सत्याग्रह कहते हैं, उस भूमिका में उपवास का स्थान अंतिम है।
- 'सत्याग्रह' एक प्रतिकारपद्धति ही नहीं है, एक विशिष्ट जीवनपद्धति भी है जिसके मूल में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, निर्भयता, ब्राह्चर्य, सर्वधर्म समभाव आदि एकादश व्रत हैं। जिसका व्यक्तिगत जीवन इन व्रतों के कारण शुद्ध नहीं है, वह सच्चा सत्याग्रही नहीं हो सकता। इसीलिए विनोबा इन व्रतों को 'सत्याग्रह निष्ठा' कहते हैं।

3. अहिंसा

- अहिंसा का सामान्य अर्थ है 'हिंसा न करना'। इसका व्यापक अर्थ है - किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से कोई नुकसान न पहुँचाना। मन में किसी का अहित न सोचना, किसी को कटुवाणी आदि के द्वारा भी नुकसान न देना तथा कर्म से भी किसी भी अवस्था में, किसी भी प्राणी की हिंसा न करना, यह अहिंसा है।
- जैन धर्म एवं हिन्दू धर्म में अहिंसा का बहुत महत्त्व है। जैन धर्म के मूलमंत्र में ही अहिंसा परमो धर्मः (अहिंसा परम (सबसे बड़ा) धर्म कहा गया है। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने भारत की आजादी के लिये जो आन्दोलन चलाया वह काफी सीमा तक अहिंसात्मक था।

4. स्वराज

- स्वराज का शाब्दिक अर्थ है- 'स्वशासन' या 'अपना राज्य' (self-governance or home-rule)। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के समय प्रचलित यह शब्द आत्म-निर्णय तथा स्वाधीनता की माँग पर बल देता था। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों (उदारवादियों) ने स्वाधीनता को दूरगामी लक्ष्य मानते हुए 'स्वशासन' के स्थान पर 'अच्छी सरकार' (ब्रिटिश सरकार) के लक्ष्य को वरीयता दी। तत्पश्चात् उग्रवादी काल में यह शब्द लोकप्रिय हुआ, जब बाल गंगाधर तिलक ने यह उद्घोषणा की कि ''स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।''
- गाँधी ने सर्वप्रथम 1920 में कहा कि ''मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है, जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। गाँधी का मत था स्वराज का अर्थ है जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन-आवश्यकताओं तथा जन-आकांक्षाओं के अनुरूप हो।'' वस्तुतः गांधीजी का स्वराज का विचार ब्रिटेन के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, ब्यूरोक्रैटिक, कानूनी, सैनिक एवं शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार करने का आन्दोलन था।
- यद्यपि गांधीजी का स्वराज का सपना पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सका फिर भी उनके द्वारा स्थापित अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस दिशा में काफी प्रयास किये।

संभावित प्रश्न

जीवन का कोई ऐसा विषय नहीं है, सामाजिक व्यवस्था का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, जिस पर महात्मा गांधी ने प्रयोग न किये हों और हल निकालने का प्रयास न किया हो। इस कथन के सन्दर्भ में गाँधी जी से जुड़े किन्ही पांच ऐसे सिद्धांतों की चर्चा करें जिसकी वर्तमान में आवश्यकता है तथा क्यों है यह भी बताये?

अभी बाकी है समानता की लड़ाई

साभार: नई दुनिया
(3 अक्टूबर, 2017)

तसलीमा नसरीन (लेखिका बांग्लादेशी मूल की जानी-मानी साहित्यकार हैं)

सार

इस लेख में लेखिका ने हाल ही में सऊदी अरब क्राउन के द्वारा महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दी है, उसकी चर्चा की है। उन्होंने इस दिशा में किये गए पूर्व सुधारों की भी चर्चा की है। ये भी बताया है कि ये अधिकार अभी अधूरे हैं इनके लिए और प्रयासों की आवश्यकता है।

विशेष- यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण है।

सऊदी अरब ने महिलाओं के गाड़ी चलाने पर जारी प्रतिबंध को कुछ दिन पूर्व हटा लिया है। महिलाएं अब अगले साल जून से गाड़ियां चला सकेंगी। यह एक बड़ी खुशखबरी है। 1990 में पहली बार महिलाएं गाड़ी चलाने का अधिकारी मांगने को सड़क पर उतरी थीं। 47 महिलाओं ने रियाद शहर में गाड़ी ड्राइव की थी। उन सबको गिरफ्तार किया गया था। यही नहीं, उनमें से कुछ की तो नौकरी भी चली गई थी। क्या नारियों के अधिकारों पर सख्ती बरतने वाले सऊदी राजतंत्र ने महिलाओं की आजादी पर विश्वास करना शुरू कर दिया है? ऐसा लगता तो नहीं।

महिलाओं द्वारा ड्राइविंग पर पूरी दुनिया विशेषकर योरप और अमेरिका सऊदी अरब की निंदा में मुखर रहे हैं। सऊदी अरब को नारी उत्पीड़न वाले देश के रूप में देखा जाता रहा है। इसीलिए सऊदी अरब ने निर्णय लिया है कि औरतों को भी ड्रायविंग की छूट दी जाए। संभव है, अपनी छवि बदलने के लिए उसने यह फैसला किया हो।

महिलाओं की दलील है कि उनके पास गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं था और अक्सर ड्राइवर नहीं मिलने पर टैक्सी पर कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ता था, जिसमें अब बचत हो सकेगी। वहीं सऊदी अरब के एक मंत्री का कहना है कि महिलाएं गाड़ी चलाएंगी तो उनके पेट को नुकसान होगा। कुछ दिन पहले सऊदी के एक इमाम ने कहा था कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में एक चौथाई ही दिमाग होता है, लिहाजा महिलाओं का गाड़ी चलाना प्रतिबंधित है। अब तक सऊदी के पुरुषों के मन से नारी के प्रति विद्वेष कम नहीं हो सका है। पहले की तरह घृणा आज भी बनी हुई है। महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दी गई है, यह खबर आते ही सऊदी में कुछ कट्टर सोच वाले लोगों ने वाट्सएप पर विरोध भी शुरू कर दिया है। वे कह रहे हैं कि इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। महिलाओं को व्यभिचारी नहीं बनने देंगे। ऐसी कट्टर सोच वालों का कहना है कि गाड़ी चलाते समय महिलाएं पर-पुरुष से बात करेंगी और ऐसे में वे व्यभिचारी हो जाएंगी। सऊदी अरब में महिला विरोध की कुसंस्कृति इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाली। वहां के लोग जैसे हैं, काफी समय तक वैसे ही बने रहेंगे।

वहां महिलाओं के लिए बुर्का अनिवार्य है। सिर के दो बाल भी दिख जाएं तो आफत आ जाती है। सिर से लेकर पांव तक बुर्का पहनकर ही महिलाएं कहीं आ-जा सकती हैं। चाहे वे सड़क पर पैदल चलें या गाड़ी में जाएं। अब महिलाएं गाड़ी चलाएंगी, लेकिन नारी विरोधी सभी कानून बदस्तूर जारी रहेंगे। दुष्कर्म की शिकार होने पर भी महिलाओं को ही सजा भुगतनी होती है, क्योंकि दुष्कर्म के चार साक्ष्य पेश करने पड़ते हैं। दुष्कर्म नामक कोई शब्द सऊदी के संविधान में नहीं है। है तो व्यभिचार नामक शब्द। व्यभिचार में पकड़े जाने पर महिला व पुरुष दोनों को ही सजा मिलती है। दुष्कर्मी को तो सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन दुष्कर्म पीड़िता को सजा क्यों? पर-पुरुष के साथ यदि किसी महिला को देख लिया गया तो उसका अर्थ यह होता है कि महिला ने व्यभिचार किया है। लड़की को यदि अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किया गया है तो उसे चार गवाह लाने होते हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो दुष्कर्मी के साथ उसे भी सजा दी जाती है। पीड़िता को गवाह कहां मिलेंगे? सऊदी की महिलाएं अपने पति की अनुमति के बिना देश से बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकतीं। इलाज कराने के लिए भी यदि वे बाहर जाती हैं तो घर के पुरुष अभिभावक से अनुमति लेनी होती है। पुरुष अभिभावक की अनुमति के बिना लड़कियों को शादी करना, तलाक, स्कूल व कॉलेजों में दाखिला, नौकरी, व्यवसाय करना यहां तक कि बैंक में खाता खुलवाना भी संभव नहीं है। लड़कियों के लिए अभिभावक पिता, पति, भाई, चाचा या फिर पुत्र होता है। किसी भी अपरिचित पुरुष के साथ लड़कियों की बातचीत और किसी तरह का मिलना-जुलना प्रतिबंधित है। वर्ष 2013 में सड़क हादसे में जख्मी एक महिला का ऑपरेशन कर हाथ काटना था, लेकिन ऐसा करना संभव नहीं हो सका, क्योंकि उक्त महिला का कोई अभिभावक नहीं था जो अनुमति दे सके। दरअसल, उसी हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी।

मानाल अल-शाराफ नामक सऊदी की एक लड़की ने वर्ष 2011 में रात के अंधेरे में गाड़ी ड्राइव की थी और उसे रिकॉर्ड कर यूट्यूब पर डाला था, जिसके लिए उसे सजा मिली। इसके बाद से ही महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दिए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी थी। उसी घटना को लेकर महिलाओं को ड्राइविंग की अनुमति दी जा रही है। यहां तक कि महिलाओं को अभिभावक कानून के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि सऊदी में लड़कियों को अभिभावक के बिना जीवन-यापन करने की अनुमति नहीं है। यह पता नहीं कि अभिभावक कानून को खत्म करने में और कितने युग लगेंगे? मानाल की उस मांग से आवाज बुलंद हुई थी। सऊदी में रहकर वह यह आवाज नहीं उठा पाती। वह इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में है, इसीलिए यह सब कर सकी। अरब देश को बर्बरों का देश कहा जाता था। मारपीट, खून-खराबा वहां के लोग किया करते थे। महिलाएं इंसान हैं, यह कभी नहीं माना जाता था। आज भी महिलाओं

को इंसान समझने का लक्षण नहीं दिख रहा। वित्तीय स्वार्थ व निंदा की वजह से अब महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन अब भी नारी अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ नहीं हो रहा है। विवाह, तलाक, संतानों के अभिभावक, उत्तराधिकार में भी व्यापक रूप से महिलाओं के मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का भी हक वहां नहीं है। बस उन्हें उपभोग की वस्तु माना जाता है। अपने अधिकारों की बात करने वाली महिलाओं को देश से बाहर जाना पड़ता है। ऐसा कब तक चलेगा? धरती के कई बर्बर देश सभ्य बने हैं। कई महिला विरोधी समाजों में महिलाओं को समान अधि कार मिले हैं, परंतु अमीर मुल्कों में शुमार सऊदी अरब का रिकॉर्ड इस पैमाने पर बेहद लचर है। एक जमाने में गरीब देश रहे सऊदी अरब ने तेल के दम पर खूब तरक्की से तमाम सुख-सुविधाएं तो जुटाई हैं, लेकिन नारी को समान अधिकार देने के मामले में तंगदिल बना हुआ है।

वहां नारी विरोधी पुरुषों का अभाव नहीं है। दुख यह है कि वहां नारी विरोधी महिलाएं भी कम नहीं हैं। ब्रेनवॉश के कारण यह चमत्कार है। 2006 में हुए एक सर्वे में सामने आया था कि 100 में से 89 महिलाएं नहीं चाहतीं कि महिलाएं गाड़ी चलाएं। वहीं 86 फीसदी महिलाएं नहीं चाहतीं कि पुरुषों के साथ बैठकर समान रूप से कार्य करें। 90 फीसदी महिलाएं नहीं चाहतीं कि अभिभावक कानून खत्म हो। महिलाएं जब खुद ही स्वाभिमान से समझौते को तैयार हैं तो यह हैरान ही करता है। महिलाओं के हक में आवाज उठाने पर यही कहा जाता है कि मैं महिला प्रधान समाज बनाना चाहती हूं। वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि नारी प्रधान समाज होने पर आज जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कहीं वही पुरुषों के साथ न होने लगे। मैं स्तब्ध हूं। अधिकांश पुरुष समान अधिकार वाला समाज तैयार करने के पक्ष में नहीं हैं। यहां आधी आबादी शेष आधी आबादी के दमन में लगी है। ऐसे शोषकों की हरकतें शर्मिंदा ही करती हैं।

संबंधित प्रमुख तथ्य

किस तरह की हैं पाबंदियाँ?

- अभी तक सऊदी महिलाओं को ड्राइविंग की इजाजत नहीं थी।
- कानून के तहत हर महिला का एक पुरुष गार्डियन होना जरूरी है।
- महिलाएँ कई काम केवल पुरुष गार्डियन- पिता, भाई, पति या बेटे की इजाजत से ही कर सकती हैं।
- पुरुष गार्डियन की इजाजत - ट्रैवल, काम, शादी, तलाक, बैंक खाता खोलने, मेडिकल ऑपरेशन के लिए चाहिए।
- अलग-अलग परिवार गार्डियनशिप की पाबंदियों को अलग-अलग हद तक लागू करते हैं।

बदलाव का दावों का आधार

सऊदी सरकार के श्रम मंत्रालय के मुताबिक 2010 में देश के प्राइवेट सेक्टर में केवल 55 हजार महिलाएं काम कर रही थीं लेकिन 2013 के अंत तक इनकी संख्या 4,54,000 तक पहुंच गई। ये बदलाव दो वजहों से हुआ है-

एक तो महिलाओं के अभियान से और दूसरे पूर्व राजा अब्दुल्ला बिन अब्दुल्लअजीज ने अपने शासन के अंतिम सालों में महिलाओं के लिए नियम कानूनों में कुछ बदलाव किया, महिलाओं के काम करने के लिए इन्हें मददगार बनाया। उन्होंने शूरा काउंसिल में महिला को जगह दी थी। पहली बार किसी महिला को उप मंत्री बनाया और आम तौर पर महिलाओं के कुछ नौकरियों करने के बारे में कानूनों में ढील दी। सऊदी अरब की महिलाओं को अब रिटेल और हॉस्पीटलिटी में काम करने की इजाजत मिल गई है। 2013 में देश में महिला वकीलों को पहली बार वकालत करने का सर्टिफिकेट दिया गया। देश की कूटनीतिक सेवा में महिलाओं को नौकरी दी गई। अब महिलाएँ अखबारों की संपादक और टीवी शो की होस्ट बन सकती हैं।

दस साल में बदलाव

- सऊदी अखबार अल-शर्क अल-अवसत की लंदन स्थित फीचर एडिटर अबीर मिश्खास कहती हैं, 'चीजें बहुत तेजी से नहीं बदल रही हैं लेकिन बदलाव हो रहा है। पिछले 10 साल में काफी बदलाव हुए हैं। कई सेक्टरों में नई नौकरियां महिलाओं के लिए उपलब्ध हुई हैं, जिनके बारे में महिलाएं पहले सपना तक नहीं देखा सकती थीं।'
- सऊदी अरब की महिलाओं के लिए पहली नियोक्ता एजेंसी ग्लोवर्क की संस्थापक और सीईओ खालिद अल्खुदायर के मुताबिक स्नातक की डिग्री लेने वाली लड़कियां कुशल भी हैं और काम भी करना चाहती हैं लेकिन उन्हें घर के बाहर पुरुषों के साथ बैठने और काम करने का कोई अनुभव नहीं है।
- शिक्षा और रोजगार के अंतर को भरने के लिए ग्लोवर्क ने 2013 से स्टेप-अहेड की शुरुआत की थी। ये एक सालाना आयोजन है जिसमें महिलाओं को कार्यशाला के जरिए नौकरी के अवसरों से कनेक्ट किया जाता है।
- 2013 में रियाद में आयोजित कार्यशाला में 45 नियोक्ता शामिल हुए थे। इस साल रियाद, जेद्दाह और दामान में 300 नियोक्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है।

संभावित प्रश्न

सऊदी अरब में पिछले कुछ वर्षों में हुए महिला सुधारों की चर्चा करें तथा इन सुधारों के पीछे उत्तरदायी कारणों को दर्शाते हुए वैश्विक स्तर की तुलना में इनकी धीमी गति का क्या कारण है, इसे भी बताएं?

जेलों में सुधार की बड़ी चुनौती

साभार : दैनिक जागरण
(04 अक्टूबर, 2017)

वर्तिका नंदा [लेखिका जेल-सुधार के लिए सक्रिय तिनका-तिनका श्रृंखला की संस्थापक एवं मीडिया विश्लेषक हैं]

सार

इस लेख में सर्वोच्च न्यायालय के हाल के जेल सुधार सम्बन्धी निर्णय की चर्चा की है तथा ये भी बताने का प्रयास किया है कि आज की आवश्यकता ऐसे जेल सुधार की है जो कैदियों मे गुणात्मक सुधार ला सके। किन्तु यह निर्णय लागू होना स्वयं में एक चुनौती है।

विशेष- यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन लोकूर और दीपक गुप्ता के फैसले के बाद खुली जेल फिर से चर्चा में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि सभी राज्य खुली जेलों के सिद्धांत का गंभीरता से अध्ययन करें और उसे अमल में लाएं। इस समय भारत में कुल 54 खुली जेलें हैं। दरअसल खुली जेल एक ऐसी जेल होती है जिसमें जेल के सुरक्षा नियमों को काफी लचीला रखा जाता है। ऐसी जेल बड़ी जेल का ही एक बाहरी हिस्सा होती है जो सलाखों से काफी हद तक आजाद होती है। ऐसी जेलों में रहने वाले बंदी दिन के समय बाहर कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें एक निश्चित समय के बाद शाम को उसी जगह पर लौटना होता है।

ऐसी जगह में बंदी के भाग जाने के डर को ध्यान में रखते हुए किसी तरह की सुरक्षा का दबाव नहीं रखा जाता। इन जेलों में बंदियों को आत्मानुशासन और खुद अपनी जीविका अर्जित करने पर जोर दिया जाता है। एक बड़ी बात यह भी है कि इन बंदियों से बाहर के लोग आकर मिल सकते हैं। ऐसे में ये बंदी भी धीरे-धीरे अपने आप को समाज में लौटने के लिए तैयारी का अवसर पा लेते हैं। इस तरह की खुली जेल का मकसद जेलों में बढ़ती भीड़ पर काबू पाना, बंदियों को उनके अच्छे व्यवहार के लिए एक मौका देना और उन्हें समाज में लौटने के लिए फिर से तैयार करना होता है।

दुनिया में पहली खुली जेल स्विट्जरलैंड में 1891 में बनी थी। भारत में पहली खुली जेल 1905 में बंबई में बनी। मौजूदा समय में खुली जेलों में 100 से 1000 तक बंदी रखे जाते हैं, लेकिन डकैती और फर्जीवाड़े जैसे अपराधों में लिप्त रहे बंदियों और महिला कैदियों का इस जेल के लिए चुनाव नहीं किया जाता। 2010 में पुणे में देश की पहली महिला खुली जेल को शुरू किया गया। जेल सुधार और खुली जेल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 11 सूत्रीय निर्देश दिए हैं, जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार, जेलों के अंदर मानवीय व्यवहार, जेलों में अस्वाभाविक मृत्यु वाले बंदियों के परिवारों को मुआवजा देने और अकेलेपन और कैद से निपटने के लिए काउंसलिंग पर विचार करने को कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने परिवारों से मुलाकात और फोन के जरिये संपर्क को भी बढ़ाने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही कैदियों के अकेलेपन को कम करने और मानसिक स्थिरता में सुधार के लिए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के जरिये बाहरी दुनिया से जोड़ने की जरूरत जताई है। जेल सुधार को लेकर सभी राज्यों को तुरंत कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। कोर्ट ने कैदियों के साथ व्यवहार के न्यूनतम स्तर के बारे में संयुक्त राष्ट्र की ओर से अपनाए गए मंडेला नियमों का भी जिक्र किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि परिवार और मित्रों से कटे हुए कैदियों के जेल से बाहर रहने वाले लोगों की तुलना में आत्महत्या करने के 50 प्रतिशत अधिक अवसर होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने जेलों में अफसरों के लिए ट्रेनिंग और बंदियों के लिए उनके अधिकारों पर कार्यक्रम आयोजित करने पर भी जोर दिया है। इसके अलावा महिला और बाल विकास मंत्रालय से भी कहा गया है कि वह जेलों में बच्चों और महिलाओं की देखभाल को लेकर अपने काम को आगे बढ़ाए। यहां यह जानना जरूरी है कि देश भर में करीब 1800 बच्चे माता या पिता के साथ जेल में रहते हैं। उन्हेंसिर्फ छह साल तक ही उनके साथ जेलों में रहने की इजाजत होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में पिछले 15 सालों में जेलों में बंद महिलाओं की संख्या में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक दशक में 477 महिला बंदियों की मौत जेल के अंदर हुई है। बेशक सुप्रीम कोर्ट के जेल सुधार संबंधी निर्देश उल्लेखनीय हैं, लेकिन उन्हें लागू करना आसान नहीं। पूरे देश में इस समय 1382 जेलें हैं जिनमें से महिलाओं के लिए सिर्फ 18 ही हैं। जेलें सामाजिक और प्रशासनिक, दोनों ही स्तरों से अनदेखी का शिकार हैं। जस्टिस मुल्ला और जस्टिस कृष्णन अय्यर की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें आज भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई हैं। जेलों में करीब 80 प्रतिशत बंदी विचाराधीन हैं और न्यायिक प्रक्रिया अक्सर बहुत लंबा समय लेती है। इससे जेलों में भीड़ बढ़ना स्वाभाविक है। जेलों में तय संख्या से कम से कम 18 प्रतिशत ज्यादा बंदियों का मौजूद होना चौंकाता है। प्रशासनिक स्तर पर जेलें राज्यों के अध ीन आती हैं, लेकिन आइपीएस अधिकारी अक्सर जेलों में नियुक्त होना पसंद नहीं करते और खुद जेल मंत्री भी जेलों को लेकर अ-गंभीर बने रहते हैं। भारत में जेलों को सुधारगृह कहा जाता है, लेकिन ऐसा कहने भर से काम पूरा नहीं होता। जेलें अपराधियों के लिए बड़े अपराधी बनने के वर्कशॉप की तरह देखी जाती हैं। महाराष्ट्र की जेलों में पांच साल गुजारने वाले अभिनेता संजय दत्त ऐसा ही मानते हैं।

विचाराधीन और सजायाफ्ता या फिर एक बार अपराध करके आए और बार-बार अपराध करने वाले बंदियों को अलग-अलग रखने का प्रावधान न होने से जेलें बाहर की दुनिया के लिए खतरे का कारक बनाती हैं। बाहर की दुनिया बंदियों के फैशन शो को देख कर

कुछ देर के लिए तालियां भले ही बजा ले, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता। जेलों को नए सिरे से बदलने की जरूरत है, जिसके लिए प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर कोशिशों के अलावा साहित्य और कला का भी अपना योगदान हो सकता है। जब तक हर स्तर पर संवाद शुरू नहीं होगा तब तक हालात बदल नहीं सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश पर सभी राज्यों से दिसंबर तक रिपोर्ट मांगी है, लेकिन इन निर्देशों को लागू करने की नीयत भी बने, इसके लिए कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। जेलें एक टापू की तरह संचालित होती हैं और सन्नाटे में पलती हैं। जेल से बाहर आने पर अपराधी फिर से अपराध की दुनिया में न लौटे, इसे सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार संस्थाओं को संकल्प लेना होगा। नि:संदेह सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक रास्ते को खोला है, लेकिन इस रास्ते में चट्टानों की कोई कमी नहीं।

खुली जेल से जुड़े तथ्य

- मध्य प्रदेश सरकार ने खुली जेल की अवधारणा को लगभग पांच साल पहले होशंगाबाद में लागू किया था। होशंगाबाद में 17 एकड़ क्षेत्रफल में 32 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश की पहली खुली जेल बनाई गई थी। यहां 25 कैदियों के रहने के लिये आवास बनाये गये हैं। यहां कैदी आवास में अपने परिवार के साथ रहते हैं और दिन-भर शहर में अपना काम-काज कर वापस शाम ढले अपने परिवार के पास जेल में बने आवास में लौट आते हैं।
- मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) सुशोभन बैनर्जी ने बताया, ''कैदियों को जेल से रिहा होने के बाद पुन: समाज की मुख्यधारा में समरस होने का मौका देने के उद्देश्य से उनकी सजा के अंतिम एक-दो साल के लिये उन्हें इस खुली जेल में रखा जाता है। खुली जेल में कैदियों को भेजने के लिये पूरी एक चयन प्रक्रिया है। इन सभी मापदंडों पर खरा उतरने के बाद ही कैदियों का खुली जेल में रहने के लिये चयन किया जाता है।'' उन्होंने कहा, ''इसमें विशेषतौर पर ऐसे कैदियों का चयन किया जाता है जो कि आदतन अपराधी नहीं होते तथा 10-12 वर्ष की कैद के बाद उनकी सजा के अंतिम एक-दो साल ही शेष रहते हैं।''
- ओपन जेल में रहने वाले कैदी ऑफिस भी जाएंगे। जेल के बाहर भी उन्हें नौकरी करने की आजादी होगी। बस सिर्फ उन्हें कार्य स्थल, नौकरी के स्वरूप और नियोजन से जुड़ी जानकारियां जेल के प्रभारी पदाधिकारी को प्रोफार्म पर भरकर देनी होगी।
- जेल के भीतर अगर किसी बंदी के लिए कोई काम नहीं होगा तो उसे जेल के पांच किलोमीटर के दायर में काम करने की इजाजत होगी। इसके लिए जेल आईजी की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि जेल के बाहर काम करने वाले बंदियों के लिए कुछ शर्तें भी होंगी। उन्हें शाम में हाजिरी के समय या उसके पहले जेल वापस लौटना होगा। जेल के बाहर उन्हें सिर्फ दिन में ही काम करने की इजाजत होगी। जेल के अधिकारी उस स्थल का औचक निरीक्षण भी करंगे जहां बंदी काम करेगा। निरीक्षण के दौरान अगर बंदी कार्य स्थल पर नहीं पाया गया तो अधिकारी उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

संभावित प्रश्न

"सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि सभी राज्य खुली जेलों के सिद्धांत का गंभीरता से अध्ययन करें और उसे अमल में लाएं"। इस कथन के सन्दर्भ में खुली जेल की अवधारणा को स्पष्ट करें तथा इसकी व्यवहार्यता पर टिप्पणी करें।

बेहतर जल प्रबंधन समय की जरूरत

साभार: पीआईबी
(5 अक्टूबर, 2017)

अजय कुमार चतुर्वेदी (लेखक भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ट् अधिकारी रहे हैं)

सार

इस लेख में लेखक ने जल की एक संसाधन के रूप में क्या महत्ता है उसको दर्शाया है तथा किस प्रकार आज के समय में जल प्रबंधन की जरुरत महसूस की जा रही है, इसकी भी चर्चा की है। साथ ही भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे प्रयासों की भी चर्चा की है।

विशेष- यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-I (भूगोल) के लिए महत्वपूर्ण है।

कहा गया है कि जल ही जीवन है। जल प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। कहने को तो पृथ्वी चारों ओर से पानी से ही घिरी है लेकिन मात्र 2.5% पानी ही प्राकृतिक स्रोतों – नदी, तालाब, कुओं और बावडियों-से मिलता है जबकि आधा प्रतिशत भूजल भंडारणहै। 97 प्रतिशत जल भंडारण तो समुद्र में है। लेकिन यह भी एक कडवी सच्चाई है कि भारत जल संकट वाले देशों की लाईन के मुहाने परखड़ा है। जल के इसी महत्व के मद्देनजर भारत में भी 2012 से सप्ताह भर तक प्रतिवर्ष विचार विमर्श किया जाता है जिसे सरकार ने भारत जल सप्तोह नाम दिया है। इसके आयोजन की जिम्मेदारी जल संसाधन मंत्रालय को सौंपी गई है। इसकी परिकल्पना भी इसी मंत्रालय ने हीकी थी।

अंतरराष्ट्रीय मंच : जल की उपयोगिता, प्रबंधन तथा अन्य जुड़े मुद्दों पर खुली चर्चा के लिए यह अंतरराष्ट्रीय मंच बहुत उपयोगी साबित हुआ है, जिसमें देशविदेश से आए विशेषज्ञों ने जल संसाधन के प्रबंधन और उसके क्रियान्वयन पर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। समन्वित जल संसाधन प्रबंधनके लिए तीन आधारभूत स्तंभों को विशेषज्ञों ने जरुरी माना है – सामाजिक सहयोग, आर्थिक कुशलता और पर्यावरणीय एकरूपता। इन उद्देश्योंकी प्राप्ति के लिए जरूरी है कि नदियों के थालों (बेसिन) के अनुरूप कार्ययोजना बना कर प्रबंध न किया जाए तथा बेसिन की नियमितनिगरानी और मूल्यांकन किया जाए। 2012 में हुए पहले मंथन में पांच महत्वपूर्ण सुझाव मिले –

- खाद्य और ऊर्जा संरक्षण के लिए बेहतर जल प्रबंधन की सहमति बनाई जाए।
- जल के प्रभावी और बेहतर उपयोग पर नीति गत चर्चा की जरूरत।
- जल परियोजनाओं की वित्तीय और आर्थिक स्थिति के बीच उचित तालमेल पर बल।
- जल संसाधनों से जुड़े जलवायु परिवर्तन के ऐसे मुद्दे जिनसे राष्ट्रीय जल मिशन की तमाम गतिविधियां जुड़ी हैं, उन्हें अधिक बढावादेना होगा।

2013 में सात सुझाव मिले जिनमें बेहतर जल प्रबंधन, उसके वित्तीय तथा आर्थिक पहलुओं, बांधों की सुरक्षा और उससे संबंधि तकदमों पर कुछ ठोस सुझाव शामिल थे। जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं के मूल्यांकन किये जाने के सुझाव शामिल थे।

2015 से भारत जल सप्ताह के स्वरुप में बड़ा बदलाव: आम चुनाव के कारण 2014 में भारत जल सप्तुह नहीं हुआ लेकिन उसके बाद 2015 में आयोजित जल सप्तामह में इसका स्वरूप हीबदल गया। जल से जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बात पर आम सहमति रही कि कृषि, औद्योगिक उत्पादन, पेयजल, ऊर्जाविकास, सिंचाई तथा जीवन के लिए पानी की निरंतरता बनाए रखने के लिए सतत प्रयास की जरूरत है। नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की पहली प्राथमिकता होती है। पहली बार जल से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विषय वार कार्य योजना बनाने पर भी सहमतिबनी। 2016 के भारत जल सप्ता ह में विदेशी विशेषज्ञों की प्रभावी भागीदारी के लिए अन्य देशों को भी शामिल किया गया। 2016 केआयोजन में इजराइल को सहयोगी देश के रुप में शामिल किया गया और उसके विशेषज्ञों ने विशेष रूप से शुष्क खेती जल संरक्षण पर बहुतमहत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसमें इजराइल को महारत हासिल है और इस तकनीक में वहां के वैज्ञानिक दुनियाभर में अपना

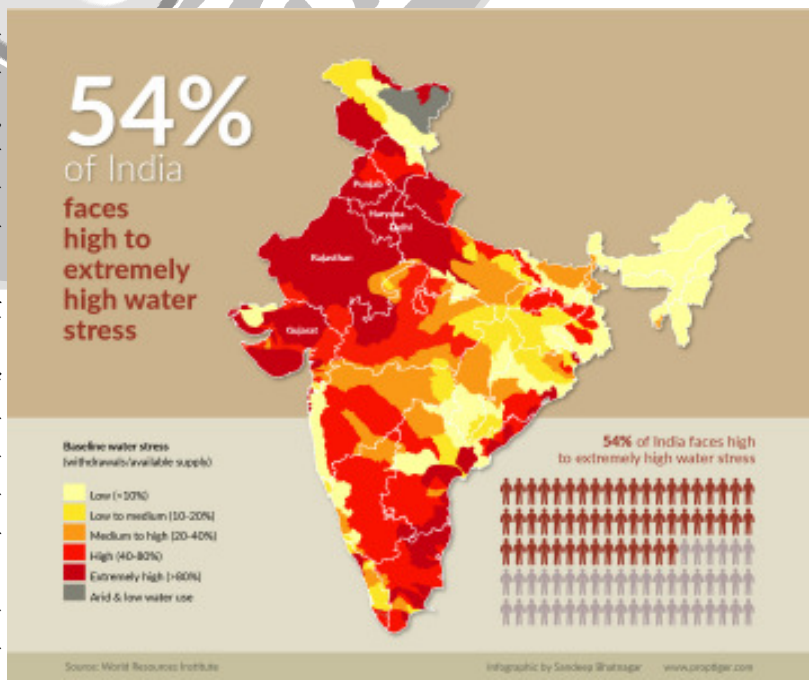

लोहा मनवा चुके हैं।पिछले साल के आयोजन में भारत सहित 20 देशों के करीब डेढ़ हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें कुल आठ संगोष्ठी हुई। दो सत्रों काआयोजन सहयोगी देश इजराइल ने किया था। नदियों को आपस में जोड़ने के मुद्दे पर भी पहली बार अंतरराष्ट्रीय मंच पर खुली और विस्तृतचर्चा हुई। जल संसाधन मंत्रालय ने कई सिफारिशों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। कम सिंचाई वाली खेती को बढ़ावा देना औररिसाइकिल्ड पानी का उपयोग कारखानों, बागवानी और निर्माण उद्योग आदि में किया जाने लगा है। कुछ और सिफारिशों को लागू करने कीभी तैयारी है

पानी के उचित प्रबंधन की जरूरत: इजराइल के मुकाबले भारत में जल की उपलब्धता पर्याप्त है। लेकिन वहां का जल प्रबंध न हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। इजराइल मेंखेती, उद्योग, सिंचाई आदि कार्यों में रिसाइकिल्ड पानी का उपयोग अधिक होता है। इसीलिए उस देश केलोगों को पानी की दिक्कत कासामना नहीं करना पडता। भारत जैसे विकासशील देश में 80% आबादी की पानी की जरूरत भूजल से पूरी होती है और इस सच्चाई से भीइंकार नहीं किया जा सकता कि उपयोग में लाया जा रहा भूजल प्रदूषित होता है। कई देश, खासकर अफ्रीका तथा खाड़ी के देशों में भीषण जल संकट है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे करोड़ों लोग जबरदस्त जल संकट का सामना कर रहे हैं और असुरक्षित जल का उपयोग करने को मजबूर हैं। बेहतर जल प्रबंधन से ही जल संकट से उबरा जा सकता है और संरक्षण भी किया जा सकताहै।

भारत में प्रभावी जल प्रबंधन की जरूरत : भारत में भी वही तमाम समस्याएं हैं जिसमें पानी की बचत कम, बर्बादी ज्यादा है। यह भी सच्चाई है कि बढ़ती आबादी का दबाव,प्रकृति से छेड़छाड़ और कुप्रबंधन भी जल संकट का एक कारण है। पिछले कुछ सालों से अनियमित मानसून और वर्षा ने भी जल संकट औरबढ़ा दिया है। इस संकट ने जल संरक्षण के लिए कई राज्यों की सरकारों को परंपरागत तरीकों को अपनाने को मजबूर कर दिया है। देश भरमें छोटे- छोटे बांधों के निर्माण और तालाब बनाने की पहल की गयी है। इससे पेयजल और सिंचाई की समस्या पर कुछ हद तक काबू पायाजा सका है। भारत में तीस प्रतिशत से अधिक आबादी शहरों में रहती है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश केलगभग दो सौ शहरों में जल और बेकार पडे पानी के उचित प्रबंध न की ओर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। इसके कारण सतही जल कोप्रदूषण से बचाने के उपाय भी सार्थक नहीं हो पा रहे हैं। खुद जल संसाधन मंत्रालय भी मानता है कि ताजा जल प्रबंधन की चुनौतियांलगातार बढती जा रही है। सीमित जल संसाधन को कृषि, नगर निकायों और पर्यावरणीय उपयोग के लिए मांग, गुणवत्तापूर्ण जल औरआपूर्ति के बीच समन्वय की जरूरत है।

नई राष्ट्रीय जल नीति जरुरी : देश में पिछले 70 सालों में तीन राष्ट्रीय जल नीतियां बनी। पहली नीति 1987 में बनी जबकि 2002 में दूसरी और 2012 में तीसरीजल नीति बनी। इसके अलावा 14 राज्योंर ने अपनी जलनीति बना ली है। बाकी राज्य तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। इस राष्ट्रीय नीति मेंष्जल को एक प्राकृतिक संसाधन मानते हुए इसे जीवन, जीविका, खाद्य सुरक्षा और निरंतर विकास का आधार माना गया है।ष् नीति में जलके उपयोग और आवंटन में समानता तथा सामाजिक न्याय का नियम अपनाए जाने की बात कही गई है। मंत्रालय का कहना है कि भारत केबड़े हिस्से में पहले ही जल की कमी हो चुकी है। जनसंख्यावृद्धि, शहरीकरण और जीवनशैली में बदलाव से जल की मांग तेजी से बढने केकारण जल सुरक्षा के क्षेत्र में गंभीर चुनौतियों खडी हो गयी है। जल स्रोतों में बढता प्रदूषण पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होनेके साथ ही स्वच्छ पानी की उपलब्धता को भी प्रभावित कर रहा है। जल नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा, जैविकतथा समान और स्थाई विकास के लिए राज्य सरकारों को सार्वजनिक धरोहर के सिद्धांत के अनुसार सामुदायिक संसाधन के रूप में जल का प्रबंधन करना चाहिए। हालाँकि, पानी के बारे में नीतियां, कानून तथा विनियमन बनाने का अधिकार राज्यों का है फिर भी जल संबंधीसामान्य सिद्धातों का व्यापक राष्ट्रीय जल संबंधी ढाँचागत कानून तैयार करना समय की मांग है। ताकि राज्यों में जल संचालन के लिएजरूरी कानून बनाने और स्थानीय जल स्थिति से निपटने के लिए निचले स्तर पर आवश्यक प्राधिकार सौंपे जा सकें। तेजी से बदल रहेहालत को देखते हुए नयी जल नीति बनाई जानी चाहिए। इसमें हर जरूरत के लिए पर्याप्त जल की उपलब्धता और जल प्रदूषित करने वालेको कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए।

जल की समस्या, आपूर्ति, प्रबंधन तथा दोहन के लिए सरकारी स्तर पर कई संस्थाऐं काम कर रही हैं। राष्ट्रीय जल मिशन तथा जलक्रांति अभियान अपने अपने स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। मिशन का उद्देश्य जल संरक्षण, दुरुपयोग में कमी लाना और विकसित समन्वित जल संसाधन और प्रबंधन द्वारा सभी को समान रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। अभियान गांवों और शहरी क्षेत्रों में जलप्रबंधन, जन जागरण और आपूर्ति के काम में लगा है।

कई देशों में आयोजित होते हैं ऐसे ही कार्यक्रम : पानी के महत्व को सभी देशों ने पहचाना है। कनाडा, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका जैसे विकसित देश भी जल सप्ता ह आयोजितकरते हैं। सिंगापुर में तो यंग वाटर लीडर्स - 2016 के आयोजन में तीस देशों से आए 90 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पानी केमुद्दे पर गहन चर्चा की। भारत में 10 से 14 अक्तूबर, 2017 के दौरान होने वाले भारत जल सप्तोह - 2017 मे इस बार सहयोगी देश केरूप में हालैंड शामिल हो रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल क्षेत्र में हालैंड का लाभ भारत को आने वाले दिनों में जरुर मिलेगा।

संभावित प्रश्न

"पिछले कुछ सालों से अनियमित मानसून और वर्षा ने भारत में जल संकट को बढ़ा दिया है। इस संकट ने जल संरक्षण के लिए कई राज्यों की सरकारों को परंपरागत तरीकों को अपनाने को मजबूर कर दिया है"। जल प्रबंधन के परम्परागत तरीके क्या है तथा इनकी सीमाएं क्या हैं? चर्चा करें।

हिंद महासागर पर नजर

साभार: अमर उजाला

(6 अक्टूबर, 2017) **मारूफ रजा**

सार

इस लेख में लेखक ने पिछले दिनों भारत की यात्रा पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल मैटिस की भारत यात्रा के महत्व को दर्शाया है तथा किस प्रकार आज भारत अमेरिका के साथ बराबरी मे बैठकर बात कर सकता है और अपने हितों का संरक्षण कर सकता है? इसकी चर्चा की है।

विशेष- यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) के लिए महत्वपूर्ण है।

पिछले दिनों भारत की यात्रा पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल मैटिस ने हमारी उम्मीद से अलग किसी भी हथियार सौदे के बजाय इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि अफगानिस्तान में अमेरिकी एजेंडे को आगे बढ़ाने में भारत क्या मदद कर सकता है। इसलिए ऐसा लगता है कि विशेष रूप से अफगानिस्तान और सामान्य तौर पर हिंद महासागर क्षेत्र में अगर अमेरिका और भारत की रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाना है, तो मोदी सरकार की क्षेत्रीय रणनीति को इस क्षेत्र से संबंधित अमेरिका की नई रणनीति के साथ जोड़ने की जरूरत होगी।

इसलिए अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका के साथ बातचीत की मेज पर भारत अपना कार्ड कैसे खेल सकता है कि न केवल हमें इसका लाभ मिले, बल्कि हमारी रणनीतिक स्वायत्तता बरकरार रहे?

पहले भारत की ओर से यह घोषणा की गई थी कि 'अफगानिस्तान की धरती पर कोई भी भारतीय जवान लड़ाई लड़ने नहीं जाएगा।' और यहां तक कि भारतीय रक्षा मंत्री ने जाहिर तौर पर अपनी उन चिंताओं को जाहिर किया कि हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमेरिकी और उसके सहयोगी सैनिकों को जो भुगतना पड़ रहा है, वह हमारे भारतीय सैनिकों को भुगतना पड़े। एक दशक से ज्यादा के हस्तक्षेप के बावजूद अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के सैनिक ऐसे अंतहीन दलदल में फंसे हैं कि अब भी उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी है।

हालांकि अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 31 में कुछ भारतीय विकास परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा युद्धग्रस्त अफगानिस्तान की धरती पर बहुत से भारतीय मिशनों को भारतीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों से सुरक्षा मिलती है।

इस तथ्य को बहुत कम महत्व दिया गया कि अमेरिका भी हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप का मुकाबला करने के लिए भारत को मजबूत बनाना चाहता है। इसके लिए भारत (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद) अमेरिका से 22 गार्जियन शिकारी नौसैनिक टोही ड्रोन हासिल कर सकता है, जो संभवत: अब तक की सबसे उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी है और जिसकी पेशकश अमेरिका ने भारत से की है। यह निश्चित रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसैनिक की निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा। और यदि भारतीय नौसेना इससे सुसज्जित हो जाएगी, तो यह उसकी क्षमता को और समृद्ध करेगा। पाकिस्तान तो हमारी क्षमता से चिंतित है ही, बीजिंग की भी चिंता बढ़ जाएगी।

लेकिन अमेरिकी समर्थन के तमाम आश्वासनों के बावजूद भारत इस पहलू की अनदेखी नहीं कर सकता कि भारत चीन की आक्रामकता का सामना करने वाला अग्रणी देश है और अगर भारत को युद्ध के लिए मजबूर किया जाता है, तो चीन-पाकिस्तान की मिलीभगत को देखते हुए उसे दो मोर्चे पर युद्ध की तैयारी करनी होगी। ज्यादातर पर्यवेक्षकों का मानना है कि दोकलम गतिरोध हिमालयी क्षेत्र में अंतिम गतिरोध नहीं था, जहां चीन का सामना करने वाला भारत अग्रणी देश है। अभी हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी. एस. धनोआ ने बताया कि चीनी सैनिक अब भी दोकलम के चुंबी घाटी में तैनात हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि वे जल्द ही वहां से चले जाएंगे, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, चीनी सैनिक फिर से दोकलम में सड़क को लेकर काम कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा कि यों तो टकराव की आशंका नहीं है, लेकिन यदि ऐसा कुछ होता है, तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं।

भले ही भारत को कम से कम इस समय हिंद महासागर क्षेत्र में चीन से बढ़त हासिल है और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा श्रेष्ठता प्राप्त है, लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र में उसे अपनी शक्ति प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए नौसैनिक परिसंपत्तियों को बढ़ाना होगा। इससे हिमालयी क्षेत्र में चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर उपयुक्त तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है और भारत-पाक संदर्भ में भी यह कारगर हो सकता है, क्योंकि टकराव की स्थिति में भारतीय नौसेना आसानी से पाकिस्तान की तटीय रेखा को अवरुद्ध कर सकती है।

इसलिए भारत को एक ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी, जो अमेरिका को बातचीत की मेज पर लाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत अमेरिका के साथ कितनी दूर तक आगे बढ़ना चाहता है। वास्तविकता यह है कि अमेरिका अब भी चीन के साथ आक्रामकता से मुकाबला नहीं करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका के साथ चीन की भारी आर्थिक भागीदारी है।

और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भले ही पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों को पनाह देने के लिए शर्मिंदा किया गया हो, (संभवत: पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से ऐसा कहा है), लेकिन पाकिस्तान पर अमेरिका की निर्भरता तब और बढ़ेगी ही, जब अफगानिस्तान के प्रति उनकी नई रणनीति (वहां और जवानों को तैनात करने और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के रुकने की इच्छा) को लागू किया जाएगा।

संक्षेप में, अफगानिस्तान का तात्कालिक ध्यान भले ही अमेरिकी प्रशासन पर केंद्रित हो, पर भारत को अपनी सॉफ्ट पावर के साथ अमेरिकियों को जीतने की योजना बनानी चाहिए और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रति बाध्यकारी प्रतिबद्धता के लिए अमेरिकी नौसैनिक की शक्तिशाली ताकत को आकर्षित करने के लिए विकासात्मक पहल करनी चाहिए। हिंद महासागर न केवल दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री व्यापार मार्ग है, बल्कि एशिया में विकास की कुंजी भी है। यदि एशिया के दो बड़े देशों-चीन और भारत के बीच कोई संघर्ष होता है, तो उसका भविष्य भी हिंद महासागर पर ही निर्भर करेगा।

हिन्द महासागर के देश और भारत

- हिन्द महासागर का विस्तार भारत के पश्चिम में अफ्रीका तक है तो पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की सीमाओं तक। इस क्षेत्र में द्वीप तो अनेक हैं किन्तु राष्ट्र केवल छह द्वीप हैं। इनमें मेडागास्कर और श्रीलंका बड़े द्वीप हैं वहीं मालदीव, मॉरीशस, सेशल्स और कोमोरोस छोटे द्वीप समूह।
- श्रीलंका और मालदीव को छोड़ दें तो शेष चारों राष्ट्र अफ्रीका का हिस्सा माने जाते हैं। रोचक तथ्य यह है कि भारत से मॉरीशस और सेशल्स की दूरी अधिक होने के बावजूद भी उनके संबंध भारत से अधिक नजदीकी रहे हैं बनिस्बत अफ्रीका से। मार्च में प्रधानमंत्री ने तीन द्वीपों की यात्रा की थी इनमे से श्रीलंका की चर्चा हम पिछले अंक में कर चुके हैं। आरम्भ में चार द्वीपों की यात्रा का कार्यक्रम था किन्तु मालदीव की यात्रा निरस्त कर दी गई।
- मालदीव, ब्रिटिश शासन से 1965 में आजाद हुआ था और भारत ने ही सर्वप्रथम मालदीव को सम्प्रभु राष्ट्र की मान्यता दी थी। मालदीव के विकास में भारत का भरपूर आर्थिक सहयोग रहा है। यहाँ अब्दुल गयूम तीस वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। सन 1988 में श्रीलंकाई आतंकवादियों द्वारा गयूम सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश हुई थी जो भारतीय कमांडो की सहायता से नाकाम कर दी गई थी।
- सेशल्स दूसरा ऐसा अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र है जिसके साथ भारत के संबंध मधुर हैं। उसे भारत से न केवल आर्थिक क्षेत्र में सहयोग प्राप्त है बल्कि अनेक अन्य क्षेत्रों में भारत सहयोग दे रहा है जिसमें रक्षा भी शामिल है। भारत के कई अधिकारी सैन्य व अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए वहां तैनात हैं। इतने नजदीकी संबंध होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी के बाद पिछले चौंतीस वर्षों में भारत के किसी प्रधानमंत्री की पहली सेशल्स यात्रा थी। सेशल्स में चार महत्वपूर्ण समझौते हुए जिसमे तटवर्तीय सुरक्षा समझौता भी शामिल है।
- भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में एक बहुत छोटा सा द्वीप है डिएगो गार्सिया। यह इंग्लैंड के कब्जे में है और इसे अमेरिका ने वायु और नौ सेना का एक बहुत बड़ा अड्डा बना रखा है। उधर चीन भी हिन्द महासागर में अपना ऐसा ही कोई अड्डा बनाने की ताक में है अत: यह जरुरी है की भारत ऐसी किसी मंशा को सफल न होने दे और अपने आस पास के द्वीपों पर अपनी (मित्रतापूर्ण) पकड़ बनाए रखे।

चीन का हित और सुरक्षा चिंता

- हिंद महासागर के समुद्री मार्ग से चीन के 40 प्रतिशत तेल व गैस का आयात होता है। बीजिंग सार्वजनिक रूप से अपनी 'मलक्का दुविधा' की चिंता जाहिर कर चुका है। उसके मुताबिक, सिंगापुर जलडमरूमध्य को बाधित करने वाली कोई भी नौसेना उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकती है। एक पूर्व भारतीय राजनयिक का कहना है कि हमने दो साल पहले चीन से समुद्री वार्ता की पेशकश की, लेकिन उसकी तरफ से कभी जवाब नहीं आया।
- ऐसे में यदि चीन हिंद महासागर में अपने जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित करना चाहता है तो वह केवल अपनी मजबूत सैन्य उपस्थिति से यह काम कर सकता है। चीन के सुरक्षा विश्लेषकों से जब इस मामले में पूछा गया, तब उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं से इनकार नहीं किया और यह तर्क दिया कि भारत इतना कमजोर है कि वह हमारे जहाजों की सुरक्षा नहीं कर सकता। ऐसे में, धारणा यह है कि हिंद महासागर में मौजूद प्रसिद्ध 'मोतियों की माला' भी उस कूटनीति का एक हिस्सा बन सकती है, जिसके तहत चीनी ठेकेदार कई बेड़े-बंदरगाह बना रहे हैं।

संभावित प्रश्न

"भारत को इस समय हिंद महासागर क्षेत्र में चीन से बढ़त हासिल है और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा श्रेष्ठता प्राप्त है, लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र में उसे अपनी शक्ति प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए नौसैनिक परिसंपत्तियों को बढ़ाना होगा।"। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? चर्चा करें

नकदी के जरिये कुपोषण से लड़ाई

साभारः हिन्दुस्तान
(7 अक्टूबर, 2017)

आलोक कुमार
(सलाहकार, नीति आयोग)

सार

इस लेख में लेखक ने हाल ही में प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के जरिये भारत की सबसे बड़ी समस्या कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को कैसे लड़ा जा सकता है उसको दर्शाया है तथा नीति आयोग के प्रयासों की चर्चा की है।

विशेष- यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

हाल ही में प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकडेÞ हमारा उत्साह नहीं बढ़ाते, खासकर तब, जब हम इनको भारत की आर्थिक प्रगति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। भारत में प्रत्येक तीसरा शिशु कुपोषित है और मातृत्व-काल की हरेक दूसरी महिला अनीमिया से ग्रसित है। और ऐसा तब है, जब हम कुपोषण से सभी मोर्चों पर लड़ रहे हैं- स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जरिये, स्वच्छता के मामले में स्वच्छ भारत मिशन के सहारे और पोषण के संदर्भ में समेकित बाल विकास सेवा की मुहिम से। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक औसत भारतीय अपनी आय क्षमता से लगभग 10 प्रतिशत कम अर्जित करता है, क्योंकि वह अपने शैशव काल में कुपोषित रह गया था। आधुनिक शोधों ने यह सिद्ध किया है कि जीवन के प्रारंभिक काल का कुपोषण व्यक्ति के मानसिक व शारीरिक विकास को अवरुद्ध करता है, जो जीवन-पर्यंत उसके सीखने की शक्ति, उसकी उत्पादकता और आय क्षमता को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। साफ है, एक कमजोर-कुपोषित कार्यबल की नींव पर एक श्रेष्ठ और उन्नत भारत की कल्पना बेमानी है।

हमारे देश में कुपोषण से मुक्ति पाने के प्रयास विभिन्न योजनाओं के जरिये लक्षित परिवारों को खाद्यान्न या भोजन उपलब्ध कराने तक सीमित रहे हैं, चाहे वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उचित मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराना हो अथवा विद्यालयों में मिड-डे मील की व्यवस्था हो, या फिर आंगनबाड़ी केंद्रों के जरिये गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को राशन, पंजीरी अथवा पके हुए भोजन मुहैया कराने की व्यवस्था। यद्यपि हमारा खाद्यान्न एवं पोषण कार्यक्रम वैश्विक संदर्भ में सबसे व्यापक कार्यक्रमों में से एक है, मगर इसका परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहा है। चूंकि कुपोषण एक छिपी हुई समस्या है, इसलिए इसके प्रति राजनीतिक व्यवस्था प्रायः उदासीन रही है। जागरूकता के अभाव में परिवारों द्वारा शिशुओं के पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए अपनी जीवनशैली व परिवेश में बदलाव लाने में आंशिक सफलता ही मिली है। ऐसे में, कुपोषण से लड़ाई के लिए अब नए प्रयोगों की आवश्यकता है।

वैश्विक स्तर पर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सशर्त नकदी हस्तांतरण (सीसीटी) एक प्रभावी विकल्प के रूप में उभरा है। ब्राजील और मैक्सिको जैसे देशों में इन कार्यक्रमों की सफलता इस बात का प्रमाण है कि ऐसे कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन व असमानता दूर करने के सशक्त साधन हैं। इन कार्यक्रमों के सघन मूल्यांकन से यह भी साबित हुआ है कि इससे व्यवहार में अपेक्षित बदलाव आया है, जो कुपोषण जैसी समस्याओं से मुक्ति के लिए अति आवश्यक है। भारतीय परिवेश में भी ओडिशा के 'ममता' जैसे मिलते-जुलते कार्यक्रम में आशातीत परिणाम मिले हैं। इन साक्ष्यों के बावजूद वस्तु के रूप में सहायता के प्रति व्यापक समर्थन है। इसके लिए दक्षिणी राज्यों का उदाहरण दिया जाता है, जहां मिड-डे मील कार्यक्रम काफी सफल रहा है। किंतु इन कार्यक्रमों की कामयाबी में राज्यों की सामाजिक पूंजी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। इसी पूंजी की असमानता के कारण सभी राज्यों में इसका क्रियान्वयन समान रूप से संभव नहीं हो सका है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में हौसला पोषण योजना के शुरुआती मूल्याकंन से पता चलता है कि इसकी सफलता सीमित रही है, जिसका मुख्य कारण गर्भवती महिलाओं का कार्यक्रम में अपेक्षित संख्या में भागीदारी न करना है, क्योंकि वे आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन जाकर भोजन करना सही नहीं मानतीं।

हाल ही में बिहार के गया जिले में सर्शत नकदी हस्तांतरण की प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया। बिहार बाल सहायता कार्यक्रम के माध्यम से यह काम हुआ। अध्ययन के चार विकास खंडों को चुना गया, जो सामाजिक व आर्थिक संकेतंकों के लिहाज से एक जैसे थे। दो विकास खंडों में अन्य लाभों के अलावा गर्भवती स्त्रियों को अपने पंजीकरण की तिथि से 30 माह तक हरेक महीने 250 रुपये (कुल 7,500 रुपये) कुछ शर्तों के साथ भुगतान किए गए। इसके अतिरिक्त अन्य सभी योजनाएं यथावत रखी गईं। ऐसा इसलिए किया गया, ताकि विकास खंडों के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो सके कि कुपोषण सूचकांकों में नकद भुगतान से कितना अंतर पड़ा? हमने नकद भुगतान के परिणामों को चार प्रमुख सवालों की कसौटी पर परखा- एक, क्या ये नकदी हस्तांतरण पोषण पर सकारात्मक असर डाल रहे हैं? दो, क्या नकदी का उपयोग निर्धारित प्रायोजन के लिए हो रहा है? तीन, क्या यह लाभ सही पात्र तक पहुंच रहा है? और चार, सेवाओं की उपलब्धता व लाभों का समग्र रूप से स्थिति बेहतर बनाने में मदद मिल रही है?

इस नए प्रयोग के परिणाम आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक दिखे। जिन विकास खंडों में नकद भुगतान किया गया, वहां के शिशुओं के कुपोषण में कमी की दर उन शिशुओं के मुकाबले पांच गुनी अधिक हुई, जहां सर्शत नकद राशि मुहैया नहीं कराई गई थी। इसी प्रकार, नकदी मुहैया कराए गए विकास खंडों में गर्भवती स्त्रियों में अनीमिया की दर में दो वर्षों के भीतर लगभग 14 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि उपलब्ध राशि का इस्तेमाल गर्भवती स्त्रियों व माताओं

ने अपने आहार के विविधीकरण के लिए किया। गर्भवती महिलाओं के आहार में दूध, हरी सब्जी, मांस, अंडे व चीनी की खपत में वृद्धि देखी गई। छह से आठ महीने की आयु के शिशुओं के लिए अपेक्षित आहार की शुरुआत की गई, ताकि उन बच्चों का सही दिमागी विकास हो सके। यह भी देखा गया कि नकद हस्तांतरण के कारण माताओं ने उन सारी शर्तों का पालन किया और उन सभी व्यावहारिक उपायों को अपनाया, जो उनके बच्चे के हित के लिए जरूरी था और उनके नियंत्रण में था।

भारत में कुपोषण पर विभिन्न रिपोर्ट्स के तथ्य

- मानवीय विकास, गरीबी में कमी तथा आर्थिक विकास के लिहाज से पोषण को महत्वपूर्ण करार देते हुए नीति आयोग ने राष्ट्रीय विकास एजेंडा में इसे ऊपर रखने का सुझाव दिया है। आयोग ने इस संबंध में राष्ट्रीय पोषण रणनीति पर एक रिपोर्ट जारी की।
- आयोग के बयान के अनुसार, कुपोषण की समस्या का समाधान करने तथा पोषण को राष्ट्रीय विकास एजेंडा के ऊपर लाने के लिए नीति आयोग ने पोषण पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है। इसे व्यापक परामर्श प्रक्रिया के जरिए तैयार किया गया है। इसमें पोषण संबंधी मकसद को हासिल करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है।
- इस रिपोर्ट में देश में अल्प-पोषण की समस्या के समाधान के लिए एक मसौदे पर जोर दिया गया है। इसके तहत पोषक के चार निर्धारक तत्वों, स्वास्थ्य सेवाओं, खाद्य पदार्थ, पेय जल और साफ-सफाई तथा आय एवं आजीविका में सुधार पर बल दिया गया है।
- पोषण रणनीति मसौदे में कुपोषण मुक्त भारत पर जोर दिया गया है जो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत से जुड़ा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि राज्य स्थानीय जरूरतों और चुनौतियों के समाधान के लिए राज्य एवं जिला कार्य योजना तैयार करे।

मिड डे मील का विस्तार या बदला जाएगा नाम?

- देश में कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए केन्द्र की मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान 2007 में मिड डे मील की विस्तृत योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत देशभर में कुपोषण के शिकार बच्चों को सीधे फायदा पहुंचाते हुए उन्हें स्कूल लाने की कवायद की गई। इस योजना से फायदे का दावा नीति आयोग के आंकड़ों के साथ-साथ आर्थिक मामलों के जानकार करते रहे हैं।
- अब नीति आयोग का मानना है कि यह मानवीय विकास, गरीबी में कमी तथा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योजना है। आयोग ने पोषण में निवेश की वकालत करते हुए ग्लोबल न्यूट्रीशनल रिपोर्ट 2015 के हवाले से कहा कि निम्न और मध्यम आय वाले 40 देशों में पोषण में निवेश का लागत-लाभ अनुपात 16:1 है।
- उसके अनुसार हाल में प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वे एनएफएचएस-4 में पोषण के मामले में कुछ सुधार दिखता है। महिलाओं और बच्चों दोनों में अपर्याप्त पोषण की स्थिति बेहतर हुई है। हालांकि, भारत की आर्थिक वृद्धि वाले देशों के समरूप अन्य देशों से तुलना की जाए तो यह गिरावट काफी कम है।
- दुनिया भर में भूखे पेट सोने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। यह संख्या आज भी तेजी से बढ़ती जा रही है। विश्व में आज भी कई लोग ऐसे हैं, जो भुखमरी से जूझ रहे हैं। विश्व की आबादी वर्ष 2050 तक नौ अरब होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसमें करीब 80 फीसदी लोग विकासशील देशों में रहेंगे। एक ओर हमारे और आपके घर में रोज सुबह रात का बचा हुआ खाना बासी समझकर फेंक दिया जाता है तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें एक वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता और वह भूख से मर रहे हैं। कमोबेश हर विकसित और विकासशील देश की यही कहानी है। दुनिया में पैदा किए जाने वाले खाद्य पदार्थ में से करीब आधा हर साल बिना खाए सड़ जाता है।
- इंडियन इन्सटिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार में हर साल 23 करोड़ टन दाल, 12 करोड़ टन फल एवं 21 टन सब्जियां वितरण प्रणाली में खामियों के चलते खराब हो जाती हैं तथा उत्सव, समारोह, शादी ब्याह आदि में बड़ी मात्रा में पका हुआ खाना ज्यादा बनाकर बर्बाद कर दिया जाता है। आज भी विश्व में करोड़ों लोग भुखमरी के शिकार हैं। वर्तमान समय में यह बहुत आवश्यक हो गया है कि विश्व से भुखमरी मिटाने के लिए अत्याधुनिक तरीके से खेती की जाये। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए विकासशील देशों के मध्य तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग बढ़ाना और विकसित देशों से आधुनिक तकनीकी मदद उपलब्ध कराना है। संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं द्वारा विकासशील देशों में गरीबी एवं भुखमरी से निपटने के लिए तमाम प्रयास भी शुरू किए गए हैं।

संभावित प्रश्न

"कुपोषण मुक्ति अभियान में सशर्त नकदी हस्तांतरण की अहम भूमिका हो सकती है, और राज्य सरकारों को इस विकल्प पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में, जहां की सार्वजनिक सेवाओं का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। इस कथन पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें।